प्रबन्ध मण्डल की 25 वीं बैठक दिनांक 22-07-2015 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 25 वीं बैठक दिनांक 22-07-2015 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया (कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर)	अध्यक्ष
2.	डॉ. विश्वनाथ (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
3.	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
4.	डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
5.	प्रो. कैलाश डागा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
6	डॉ. बेला भनोत, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार)	सदस्य
7	डॉ. भुवनेश गुप्ता (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
8.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
9.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
10.	श्री भंवर सिंह चारण	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। नव-मनोनीत माननीय सदस्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण एवं पुनः मनोनीत सदस्य प्रो. एम. एम. सक्सेना, डॉ. भुवनेश गुप्ता एवं प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. बेला भनोत, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर का हार्दिक स्वागत किया गया। कुलसचिव के रूप में सदस्य सचिव श्री भंवर सिंह चारण का भी स्वागत किया गया। प्रबन्ध मण्डल के निवर्तमान माननीय सदस्यों डॉ. एस.एन. शर्मा, प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल एवं श्री विश्राम मीणा, कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सदन का ध्यानाकर्षण किया गया :-

- **प्रबन्ध मण्डल की बैठक आयोजन में विलम्ब :** माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि उक्त अवधि में नगर निकाय/पंचायत चुनाव, विधानसभा सत्र एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से प्रबन्ध मण्डल की बैठक समय पर आयोजित नहीं कराई जा सकी। इस बात का उन्होंने खेद

व्यक्त किया। उन्होंने सदस्यों को आश्वास्त किया कि भविष्य में प्रबन्ध मण्डल की बैठक निर्धारित समयांतराल से आयोजित करवाये जाने का विशेष ध्यान रखा जावेगा।

- **कुलपति महोदया के अवकाश/मुख्यालय से बाहर होने पर कुलपति पद का कार्यभार :** माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि कुलपति के लम्बी अवधि के अवकाश पर रहने की स्थिति में कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक की समिति गठित की जाती है जिसके द्वारा आवश्यक कार्य (नीतिगत निर्णय के अतिरिक्त) सम्पादित किये जाते है। इस पर माननीय सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की कि न तो विश्वविद्यालय नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है और न ही राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की परम्परा है। कुलपति के अवकाशकाल में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में अधिष्ठाताओं की समिति का गठन कर कार्य सम्पादित करवाया जाता है। अध्यक्ष महोदया ने भविष्य में लम्बी अवधि के अवकाशकाल में अधिष्ठाताओं की समिति बनाकर कार्य सम्पादित करवाया जाने का आश्वासन प्रदान किया ।

- **कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य एवं अधिष्ठाताओं का प्रबन्ध मण्डल में मनोनयन** माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि कुलपति द्वारा नाम निर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्यो का मनोनयन नही किया गया है। इस पर माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि माननीय कुलपति अपने विवेकाधिकार से किसी भी आचार्य का मनोनयन कर सकती है परन्तु मनोनयन नही किया जाना उचित नहीं है। सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 के प्रावधानुसार सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । साथ ही माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि यदि प्रो. एम.एम. सक्सेना का मनोनयन आचार्य के रूप का किया जाये, तो प्रबन्ध मण्डल में एक अधिष्ठाता सदस्य का मनोनयन कर संख्या में अभिवृद्धि की जा सकती है। उक्त सुझावों पर माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि भविष्य में उनके सुझावों का ध्यान रखा जाएगा।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार-विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/298

प्रबन्ध मण्डल की 24 वीं बैठक दिनांक 07-06-2014 एवं विशेष बैठक 05-07-2014 की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 24 वीं बैठक दिनांक 07.06.2014 एवं विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुन: संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण

<u>निर्णय</u> :- प्रबन्ध मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 07-06-2014 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 के कार्यवाही विवरण के विनिर्णय संख्या 297 के अनुमोदन पर माननीय सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की कि प्रबन्ध मण्डल के 07 सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक के दौरान अपनी असहमति प्रकट करते हुए सदन से बाहर जाने पर भी शेष 06 सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक की कार्यवाही लगातार सम्पादित की जाती रही जो किसी भी प्रकार से वैध नही है तथा 07

सदस्यों द्वारा लिखित असहमति (Dissent Note) प्रस्तुत करने के कारण शेष सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय प्रबन्ध मण्डल बैठक का हिस्सा नही हो सकता है। इस कारण विशेष बैठक में विनिर्णय संख्या 297 के सम्बन्ध में लिये गए समस्त निर्णयों को निरस्त किया जावे। माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि उपस्थित 13 सदस्यों में से 07 सदस्यों द्वारा लिखित में असहमति व्यक्त करने के कारण प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 में लिये गए निर्णय निरस्त किये जावे। माननीय अध्यक्ष महोदया ने निर्णय दिया कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को कार्यवाही विवरण के अनुमोदन में अंकित कर लिया जावे। चूँकि यह प्रकरण आगे भी आया है, इसलिए इस पर विस्तृत विचार-विमर्श वहीं हो जाएगा। तद्नुसार विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/299
प्रबन्ध मण्डल की 24 वीं बैठक दिनांक 07-06-2014 एवं विशेष बैठक 05-07-2014 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 24 वीं बैठक दिनांक 07-06-2014 एवं विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न : पालना प्रतिवेदन ।

<u>निर्णय</u> :- प्रबन्ध मण्डल की 24 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन के सम्बन्ध निम्नानुसार विचार-विमर्श हुआ :

पालना बिन्दु संख्या 276(i) प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल एवं मानद् विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय की सेवा में आए शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में लिये गए निर्णय के क्रम में माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने प्रो. अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की प्रति में अंकित तथ्यों के आधार पर मत व्यक्त किया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालय यथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर आदि विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे कार्मिकों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल एवं मानद् विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय की सेवा में आए शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये जाने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जा रहा है जो उचित नही है। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.20(4) शिक्षा-4/2004 पार्ट जयपुर दिनांक 01-09-2014 के द्वारा मानद विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में आये शिक्षक/कर्मचारी को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules) /2006 Pt. Dated 21-09-2011 के अनुसार वेतन संरक्षित नही किया जा सकता। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. बेला भनोत, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा भी वेतन संरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में अपनी असहमति दर्ज कराई। सदस्य सचिव ने भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने का मत व्यक्त किया।

इस पर कुलपति महोदया ने सुझाव दिया कि इस प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। समिति में माननीय विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल एवं डॉ. भुवनेश गुप्ता को सम्मिलित करने हेतु सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल जी जनप्रतिनिधि है, इसलिए इस कमेटी का गठन डॉ. मेघवाल की अध्यक्षता में ही होना चाहिए। सभी सदस्यों की सहमति से निम्नानुसार समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल,माननीय विधायक, खाजूवाला - संयोजक
2. डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल - सदस्य
3. डॉ. भुवनेश गुप्ता - सदस्य

पालना बिन्दु संख्या 284 विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तो यथा योग्यताधारी प्राचार्य/व्याख्याता, भूमि-भवन, एण्डोमेन्ट फण्ड आदि की पालना न करने के फलस्वरूप प्रबन्ध मण्डल द्वारा समय-समय पर लगाई गई शास्तियों के संदर्भ में वर्तमान स्थिति से सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा गठित समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई महाविद्यालयों की सूची में माननीय कुलपति द्वारा निरीक्षण दलों का गठन कर निरीक्षण हेतु आदेश जारी किये गये। सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि आज दिनांक तक 48 महाविद्यालयों की रिपोर्ट ही विश्वविद्यालय को प्राप्त हो पाई है। जिन निरीक्षण दलों द्वारा वर्तमान समय तक निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है उन निरीक्षण दलों को विश्वविद्यालय द्वारा स्मरण पत्र जारी कर निरीक्षण रिपोर्ट जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त बिन्दु पर माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने निरीक्षकों को समय पर वाहन उपलब्ध नही कराये जाने, मानदेय प्रदान नही करने आदि का उल्लेख किया जिसके कारण कई शिक्षक महाविद्यालयों का निरीक्षण करने नही जाते है। साथ ही माननीय सदस्य द्वारा स्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का भी यथाशीघ्र निरीक्षण करवाने का अनुरोध किया गया क्योंकि बहुत से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय वर्तमान में स्थाई सम्बद्धता के मापदण्ड पूरे नही कर रहे है। सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि निरीक्षकों को वाहन उपलब्ध कराने हेतु समय पर आदेश प्रदान कर दिये गए है एवं स्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का भी निरीक्षण करवाया जा रहा है।

प्रो. कैलाश डागा के सुझाव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु रू. 1000/- प्रति निरीक्षक प्रति महाविद्यालय मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल का अंतिम निर्णय नही होने के कारण कई महाविद्यालयों की सम्बद्धता अभिवृद्धि के प्रकरण सत्र 2011-12 से लम्बित चल रहे है परन्तु उक्त महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा लगातार आयोजित करवाई जा रही है जो तकनीकी रूप से नियमानुकूल नही है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की पालना में जिन महाविद्यालयों द्वारा शास्ति राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करवा दी गयी है उन महाविद्यालयों की शास्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के अंतिम निर्णय के अध्याधीन सम्बद्धता अभिवृद्धि जारी की जावे।

2. जिन महाविद्यालयों द्वारा आरोपित शास्ति राशि जमा नही कराई गई है, उन प्रकरणों में निरीक्षण दलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय तक सशर्त सम्बद्धता अभिवृद्धि की कार्यवाही की जावे।

3. शास्ति आरोपित महाविद्यालयों द्वारा वर्तमान में सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति की सुनिश्चितता पर उनके द्वारा नवीन विषय/संकाय एवं सीट अभिवृद्धि के आवेदन पर निरीक्षण उपरान्त सशर्त नवीन विषय/संकाय एवं सीट आवंटित की जाए।

4. आगामी सत्रों की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति करने वाले महाविद्यालयों की सम्बद्धता अभिवृद्धि जारी करने एवं सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति नही करने वाले महाविद्यालयों पर नियमानुसार शास्ति आरोपण कर इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के अंतिम निर्णय के अध्याधीन सम्बद्धता अभिवृद्धि की जा सकती है।

5. आगामी सत्र में सम्बद्धता अभिवृद्धि के समय वर्ष 2009 से पूर्व के एम.फिल./पीएच.डी. योग्यताधारी व्याख्याताओं को योग्य मानते हुए शास्ति निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह निर्णय शास्ति निर्धारण के सम्बन्ध में ही लिया जाएगा, ऐसे व्याख्याताओं की स्थाई नियुक्ति के संदर्भ में नहीं।

पालना बिन्दु संख्या 297

माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 में लिये गए निर्णयानुसार चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को निरस्त करने से पूर्व समस्त प्रकार के विधिक पहलुओं एवं तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 20-06-2014 के सम्बन्ध में सभी बिन्दुओं का परीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना उचित होगा। सदस्य सचिव ने भी उक्त सुझाव से सहमति व्यक्त की। परन्तु अधिकांश सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि चयन कार्यवाही में प्रक्रियात्मक कमियों के कारण सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पद, जो राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में न्यायिक प्रकरण में विचाराधीन है, के अतिरिक्त समस्त पदों हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को निरस्त किया जावे। तद्नुसार सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पदों के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक पदों हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार प्रबन्ध मण्डल की 24 वीं बैठक एवं विशेष बैठक में लिये गए शेष निर्णयों की पालना रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/300

विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम, 2010 के द्वितीय संशोधन दिनांक 13-06-2013 के अनुसार निर्धारित अर्हताओं को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 12 वीं बैठक दिनांक 26-07-2010 के विनिर्णय संख्या 124 के द्वारा विश्वविद्यालय में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियम 2010 के अनुसार अर्हताएं एवं अन्य शैक्षणिक गुणवत्ता निर्धारित की गई थी।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राज. सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.1(6) शिक्षा-4/ 2010 दिनांक 16-09-2013 के द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताएं एवं अन्य शैक्षणिक गुणवत्ता सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियम 2010 में द्वितीय संशोधन दिनांक 13-06-2013 के अनुसार नियम/परिनियम/अध्यादेश आदि में परिवर्तन कर उक्त संशोधन लागू करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गये ।

अत: उपरोक्तानुसार इस विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताएँ एवं अन्य शैक्षणिक गुणवत्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियम 2010 में द्वितीय संशोधन दिनांक 13-06-2013 (प्रति संलग्न) के अनुसार निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताएँ एवं अन्य शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 में द्वितीय संशोधन दिनांक 13-06-2013 को अंगीकृत कर तद्नुसार योग्यता निर्धारित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/301

अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव :–

राष्ट्रीय स्तर की अन्तर-विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएँ जो कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा आंवटित विश्वविद्यालयों में आयोजित की जाती है। इन प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय द्वारा नगद पुरूस्कार राशि प्रदान की जाती है। पूर्व में कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त अखिल भारतीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता को 5100/– रू., रजत पदक विजेता को 3100/– रू. तथा कांस्य पदक विजेता को 2100/– रू. नगद पुरूस्कार राशि दी जाती रही है।

अ. अखिल भारतीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है :–

श्रेणी	वर्तमान में राविवि, जयपुर द्वारा देय राशि प्रति छात्र	वर्तमान में मदसविवि, अजमेर द्वारा देय राशि प्रति छात्र	वर्तमान में मगंसिंविबी द्वारा स्वीकृत देय नगद राशि	**विश्वविद्यालय खेलबोर्ड द्वारा प्रस्तावित राशि प्रति छात्र**
स्वर्ण पदक	10,000/– रू. एवं रेमण्ड ब्लेजर सिलाई सहित	10,000/– रू. एवं रेमण्ड ब्लेजर सिलाई सहित	5100/– रू.	**10,000/–** रू. and Track Suit (Shiv Naresh) subject to max. Rs. 1500/-
रजत पदक	7,000/– रू. एवं रेमण्ड ब्लेजर सिलाई सहित	7,000/– रू. एवं रेमण्ड ब्लेजर सिलाई सहित	3100/– रू.	**7,000/–** रू. and Track Suit (Shiv Naresh) subject to max. Rs. 1500/-
कांस्य पदक	5,000/– रू. एवं रेमण्ड ब्लेजर सिलाई सहित	5,000/– रू. एवं रेमण्ड ब्लेजर सिलाई सहित	2100/– रू.	**5,000/–** रू. and Track Suit (Shiv Naresh) subject to max. Rs. 1500/-

नोट – कोच/मैनेजर को Track Suit (Shiv Naresh) subject to be max. Rs. 1500/-

ब पश्चिम क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि हेतु प्रस्ताव –

श्रेणी	वर्तमान में राविवि, जयपुर द्वारा देय राशि प्रति छात्र	वर्तमान में मदसविवि, अजमेर द्वारा देय राशि प्रति छात्र	**खेलबोर्ड द्वारा प्रस्तावित राशि प्रति छात्र**
प्रथम	4000/– रू. एवं ट्रैक सूट	12000/– रू.	**4,000/–** रू. and Track Suit (Shiv Naresh) subject to max. Rs. 1500/-
द्वितीय	3000/– रू. एवं ट्रैक सूट	9000/– रू.	**2,000/–** रू. and Track Suit (Shiv Naresh) subject to max. Rs. 1500/-
तृतीय	–	6000/– रू.	–

नोट – कोच/मैनेजर को Track Suit (Shiv Naresh) subject to max. Rs. 1500/-

उपरोक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श कर प्रस्तावित दरों में विरोधाभास होने के कारण प्रस्ताव को स्थगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/302

अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षक एवं मैनेजर के भत्तों में संशोधन के प्रस्ताव :-

अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में चयनित खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाएं पूर्व में सत्र 2009-10 में निर्धारित की गई थी जो वर्तमान में काफी कम है। चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष से ही खेलकूद विभाग की उपलब्धि सराहनीय रही है एवं विश्वविद्यालय के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष पदक प्राप्त करते रहे है लेकिन खिलाड़ियों को दिये जाने वाले भत्ते एवं अन्य वास्तविक व्यय राज्य में स्थित अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में काफी कम है।

अत: खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा देय राशि को ध्यान में रखते हुए अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, कोच/मैनेजर के भत्तों में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है-

क्र. सं.	**श्रेणी**	**वर्तमान में मदसविवि, अजमेर द्वारा देय राशि**	**वर्तमान में विश्वविद्यालय में देय राशि**	**विश्वविद्यालय खेलबोर्ड द्वारा प्रस्तावित राशि**
1	T.A. (Player & Coach/Manager)	II Class Railway Reservation / Bus fare	Actual Paid Subject to Max. of II Class Sleeper/ Deluxe Bus fare	**Actual Paid Subject to Max. of II Class Sleeper/ Deluxe Bus fare**
2	D.A. for Coaching Camp and Inter University participation and Journey Period.	Rs. 225/-	Rs. 150/- (Player) & Rs. 200/- (Coach/Manager)	**Rs. 250/- (Player & Coach/Manager)**

3	Conveyance Charges (Assembly Place, Starting place, Inter University participation per place and Back) Per Change	Rs. 40/-	Rs. 30/-	**Rs. 40/-**
4	Conveyance charges for local Manager/Coaches during the coaching Camp (Per session- Morning & Evening)	Rs. 50/-	-	**Rs. 30/-**
5	Coolie Charges Per Change	Rs. 20/-	-	**Rs. 20/-**
6	Refreshment Charges Per Match	Rs. 40/-	Rs. 25/-	**Rs. 40/-**
7	Special Refreshment Charges for Member of the teams which finish winners & runners-up per player	Rs. 50/-	-	**Rs. 50/-**
8	Kit Money to the players, Coaches & Managers	Rs. 1100/-	Rs. 1000/-	**Rs. 1000/-**
9	First Aid Material/ Medical Allowance for the Team	Rs. 100/-	Actual Paid	**Rs. 500/- (Maximum) for First Aid Kit including Moove, Glucose, spray etc. (Actual paid on medical bill prescribed by Doctor)**
10	Contingency Charges and Other Expenses for the Team	Rs. 100/-	-	**Rs. 300/- After Producing the Bill**

उपरोक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श कर प्रस्तावित दरों में विरोधाभास होने के कारण प्रस्ताव को स्थगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/303

विश्वविद्यालय शिक्षकों/प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक एवं प्रयोगशाला प्रेष्य को ग्रीष्म अवकाश में विश्वविद्यालय कार्य हेतु उपस्थित होने की एवज में देय उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अवकाश नियम 27 (जो इस विश्वविद्यालय में लागू है) के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा ग्रीष्म अवकाश समयावधि में किये गए कार्य की एवज में 1:2 अर्थात दो कार्यदिवस की एवज में एक दिन का उपार्जित अवकाश देय है। उल्लेखनीय है कि म.द.स. विश्वविद्यालय के अवकाश नियम 1998 के है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2010 दिनांक 30-06-2010 के नियम 8.4.3(i)(b) एवं राजस्थान सेवा नियम 92 (बी) (प्रतियां संलग्न) के अनुसार शिक्षकों को विश्रामकाल (ग्रीष्मकालीन अवकाश/शीतकालीन अवकाश अवधि) में किये गये कार्य हेतु प्रत्येक 03 कार्यदिवस की एवज में 01 दिवस का उपार्जित अवकाश देय है। विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश

की अवधि में प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियों एवं अन्य कार्यो के लिए शिक्षक/ प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक एवं प्रयोगशाला प्रेष्य विश्वविद्यालय में उपस्थित होते है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एंवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार (प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में) विश्वविद्यालय के सेवानिवृत प्रो. एस.के. भनोत को अवकाश अवधि में किये गए कार्य हेतु प्रत्येक 03 कार्य दिवस की एवज में 01 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। अत: तद्नुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों/ प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक एवं प्रयोगशाला प्रेष्य को ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश में किये गए कार्य हेतु प्रत्येक 03 कार्य दिवस की एवज में 01 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

<u>निर्णय</u> :- विश्वविद्यालय शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायकों को गीष्मकालीन अवकाश के दौरान विश्वविद्यालय कार्य हेतु उपस्थित होने पर देय उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अवकाश नियम 27 (जो इस विश्वविद्यालय में लागू है) के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा ग्रीष्म अवकाश समयावधि में किये गए कार्य की एवज में 1:2 अर्थात दो कार्यदिवस की एवज में एक दिन का उपार्जित अवकाश देय है। परन्तु म.द.स. विश्वविद्यालय के अवकाश नियम 1998 के है वर्तमान में प्रचलित नियमों की जानकारी प्राप्त नही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2010 दिनांक 30-06-2010 के नियम 8.4.3 (i)(b) एवं राजस्थान सेवा नियम 92 के अनुसार शिक्षकों को विश्रामकाल (ग्रीष्मकालीन अवकाश/शीतकालीन अवकाश अवधि) में किये गये कार्य हेतु प्रत्येक 03 कार्यदिवस की एवज में 01 दिवस का उपार्जित अवकाश देय है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्ताव को स्थगित रखते हुए अन्य विश्वविद्यालयों से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पूर्ण विवरण सहित प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/304

विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव:-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 14वीं बैठक दिनांक 13-04-2011 को लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं परिसम्पतियों की सुरक्षा हेतु 23 सुरक्षा कर्मियों की सेवा प्राप्त करने एवं विशेष परिस्थितियों में कुलपति महोदय की स्वीकृति से यह संख्या अतिरिक्त 10 तक बढाई जाने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में सहायक कर्मचारी नियुक्त नही होने के कारण श्रमिक कार्यो के लिए संविदा पर अधिकतम 50 श्रमिक लिये जाने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया था।

विश्वविद्यालय में वर्ष 2011 के उपरान्त शोध भवन, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, खेल, प्रशासनिक भवन, केन्द्रीय पुस्तकालय, परीक्षा भवन द्वितीय एवं अकादमिक भवन द्वितीय का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नवीन विभाग/अनुभाग संचालित किये जा रहे है। उक्त भवनों की सुरक्षा हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में स्वीकृत (कुल 33) सुरक्षा कर्मियों की संख्या अपर्याप्त है। विश्वविद्यालय में उपलब्ध भवनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में अभिवृद्धि आवश्यक है।

अत: सुरक्षा कर्मियों की संख्या में आवश्कतानुसार 50 तक वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिसर में कई नवीन भवनों का निर्माण करवाया गया है। विश्वविद्यालय में लगभग 15 स्थान है जहां सुरक्षा कर्मी तैनात किये जाने आवश्यक हैं। क्योंकि प्रत्येक स्थान पर 1X3 के अनुसार 45 सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता होगी। साथ ही परीक्षा अवधि में प्रश्न पत्र एवं सेलर में अतिरिक्त रूप से सुरक्षाकर्मी तैनात करने की आवश्यकता रहती है। अत: उक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अधिकतम 50 सुरक्षाकर्मी की सेवा लेने की स्वीकृति वांछित है। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2008 में 50 संविदा श्रमिकों की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल के माध्यम से प्राप्त की गई थी। वर्तमान समय में परीक्षाओं में छात्रों की लगातार हो रही वृद्धि एवं विश्वविद्यालय के दैनन्दिक कार्यो के सुगम संचालन हेतु संविदा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की जानी आवश्यक है।

विचार-विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार अधिकतम 50 सुरक्षाकर्मी एवं 100 संविदा श्रमिकों (50 पूर्व में स्वीकृत + 50 की वृद्धि) की सेवाएं प्राप्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/305

विद्या परिषद की 13 वीं बैठक दिनांक 17-06-2014 एवं 14 वीं बैठक दिनांक 02-05-2015 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव:-

प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 में विद्या परिषद की 13 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण को पहले विद्या परिषद से अनुमोदन करवाने के पश्चात प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किया जावे।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त निर्णय जुलाई, 2014 में किया गया था, तत्समय सत्र 2014-15 प्रारम्भ होने के कारण छात्रों की सुविधा हेतु नवीन पाठ्यक्रम मुद्रित करवाये जाने आवश्ययक थे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12 बी में पंजीकरण हेतु आवश्यक शर्तो की पूर्ति में विश्वविद्यालय विभागों में सेमेस्टर प्रणाली सत्र 2014-15 से लागू करना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में माननीय कुलपति महोदया द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 2003 की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। उक्त अनुमोदन की पुष्टि विद्या परिषद की 14 वीं बैठक दिनांक 02-05-2015 को कराई गई। अत: पुष्टि उपरान्त विद्या परिषद की 13 वीं बैठक दिनांक 17-06-2014 एवं विद्या परिषद की 14 वीं बैठक दिनांक 02-05-2015 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न - विद्या परिषद की 13 एवं 14 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रतियां

निर्णय :- उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के दौरान माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने उल्लेख किया कि विद्या परिषद की 13 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन विद्या परिषद की आगामी 14 बैठक में करवाया जाना चाहिए था। परन्तु विद्या परिषद की 13 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को विद्या परिषद की 14वीं बैठक में केवल सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य की उक्त टिप्पणी पर सदस्य सचिव द्वारा सदन में स्पष्टीकरण दिया गया कि सत्र 2014-15 प्रारम्भ होने के कारण नवीन पाठ्यक्रम एवं विश्वविद्यालय विभागों में सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप माननीय कुलपति महोदया द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 2003 की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विद्या परिषद की 13 वीं बैठक की कार्यवाही

विवरण का अनुमोदन किया गया। उक्त अनुमोदन की पुष्टि विद्या परिषद की 14 वीं बैठक दिनांक 02-05-2015 को कराई गई। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने उल्लेख किया कि विद्या परिषद की 14 वी बैठक की कार्यवाही पहले विद्या परिषद से ही अनुमोदित करवाया जाना चाहिए। इस पर सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा परीक्षा वर्ष 2014 तक की उपाधियों दिसम्बर, 2015 तक वितरित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए है। उपाधि मुद्रण के सम्बन्ध में राजभवन द्वारा बार-बार विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जा रहा है। यदि विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित उपाधियों के प्रारूप एवं ग्रेस के प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ही दिसम्बर, 2015 तक उपाधियों का वितरण किया जाना संभव हो सकेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार-विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा विद्या परिषद की 13 वीं बैठक दिनांक 17-06-2014 एवं 14वीं बैठक दिनांक 02-02-2015 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/306

विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवानिवृत कार्मिकों को वेतन एरियर राशि की देयता के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में वर्ष 2010-11 में 41+8= 49 सेवानिवृत कार्मिकों की विभिन्न अनुभागों में स्थिर पारिश्रमिक पर संविदात्मक सेवाए ली गई थी इनमें से 41 कार्मिकों को 4800/- प्रति माह स्थिर पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा था। उच्च पद से सेवानिवृत 06 कार्मिकों को निम्नानुसार स्थिर पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था :-

क्र.स.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	देय मासिक स्थिर पारिश्रमिक
1	श्री भूपसिंह भाभू	6500/-
2	श्री अनिल चतुर्वेदी	6500/-
3	श्री करणीदान किराडू	6500/-
4	श्री जीवण सिंह	9000/-
5	श्री बाबूलाल आचार्य	6500/-
6	श्री पूसाराम	6750/-

तत्समय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08-07-2011 के अनुसार 41 सेवानिवृत कार्मिको की स्थिर पारिश्रमिक राशि रू. 4800/- में वृद्वि कर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 15794-848 दिनांक 01-08-2011 के द्वारा रू 6000/- मासिक स्थिर पारिश्रमिक निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तालिका में क्र.स. 01 से 06 में उल्लेखित सेवानिवृत कार्मिको का मासिक स्थिर पारिश्रमिक चूंकि पहले से ही अन्य कर्मचारियों से अधिक था तथा उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य की प्रकृति अनुसार पूर्व निर्धारित ही रखते हुए परिवर्तन (अभिवृद्वि) न करने का निर्णय लिया (कार्यालय टिप्पणी की प्रति संलग्न) गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी 06 सेवानिवृतकर्मी तत्समय अपरिवर्तित स्थिर पारिश्रमिक पर भी विश्वविद्यालय में सेवा प्रदान करते रहे। परन्तु विश्वविद्यालय सेवा से पृथक करने के पश्चात उक्त सेवानिवृत कार्मिकों में से केवल 03 कार्मिको श्री भूपसिंह भाभू, श्री बाबूलाल आचार्य एवं श्री करणीदान किराडू द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08-07-2011 के अनुसार देय मासिक स्थिर पारिश्रमिक में संशोधन कर भुगतान करने का अनुरोध किया है। श्री भूपसिंह भांभू द्वारा समय-समय

पर प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विभिन्न स्तरों यथा वित्त नियंत्रक, कुलसचिव एवं कुलपति महोदय द्वारा विचार कर लिये गए निर्णय से श्री भांभू को सूचित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय निर्णयानुसार श्री भूपसिंह भांभू की सेवाए लिपिकीय प्रकृति की होने तथा अन्य 41 सेवानिवृत कार्मिको की पारिश्रमिक में अभिवृद्धि (6000/-) के पश्चात भी श्री भांभू का पारिश्रमिक अधिक (6500/-) होने के फलस्वरूप तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गए निर्णयानुसार श्री भांभू को अतिरिक्त भुगतान देय नही है। यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि विश्वविद्यालय स्थापना से ही सेवानिवृत कार्मिको की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं ली जाती रही है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थिर पारिश्रमिक पर नियुक्ति आदेश में अंकित अनुसार ही भुगतान किया जाता रहा है। इससे पूर्व न तो किसी कार्मिक द्वारा बकाया की मांग की गई और न ही किसी को भुगतान किया गया।

श्री भूपसिंह भाभू, श्री करणीदान किराडू एवं श्री बाबूलाल आचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (प्रति संलग्न) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

निर्णय :- सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की स्थापना काल से ही सेवानिवृत कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं ली जाती रही है। प्रस्तुत प्रकरण में स्थिर पारिश्रमिक में वृद्धि नह. करने पर भी उक्त कार्मिकों ने विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएँ जारी रखी जो अपरिवर्तित स्थिर पारिश्रमिक की स्वीकारोक्ति का परिचयक है। विचार-विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त तीनों सेवानिवृत कार्मिकों की बकाया राशि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा तत्समय लिये गए निर्णय को यथावत रखते हुए उसे ही उचित माना एवं प्रकरण को समाप्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/307

विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के अनुमोदन का प्रस्ताव:-

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी सम्पादित कार्यो का उल्लेख करते हुए तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 2003 की धारा 43 के प्रावधानुसार वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - वार्षिक प्रतिवेदन-2014-15

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 की वर्तनी अशुद्धियों को संशोधित करने के निर्णय के साथ उसका सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/308

विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान, वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान एवं वार्षिक लेखों के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय का सामान्य एवं स्ववित्तपोषी योजना का बजट अनुमान वर्ष 2015-16, संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2014-15 एवं वार्षिक लेखा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - बजट विवरणिका एवं वार्षिक लेखा

निर्णय :- माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2014-15 का बजट आज दिनांक को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वित्तीय वर्ष अप्रेल माह में ही प्रारम्भ हो गया था। इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा अप्रेल माह से वर्तमान समय तक भुगतान कैसे

किया जा रहा है। माननीय सदस्य के उक्त बिन्दु का स्पष्टीकरण देते हुए सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर माननीय कुलपति महोदया से स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किया जा रहा था। यह स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल की बैठक के पूर्व तक ही लागू थी। विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2014-15 का संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक श्री भंवर सिंह चारण ने पेश किया।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान, वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान एवं वार्षिक लेखों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/309

यात्रा पूर्ण होने से पूर्व यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के यात्रा भत्ता नियम 1998 (जो इस विश्वविद्यालय में लागू हैं) के अनुसार यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान विश्वविद्यालया कार्यो हेतु की गई यात्रा पूर्ण होने के पश्चात देय है। किन्तु राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय में भी अनेक प्रायोजनों हेतु विशेषरूप से प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद, अध्ययन मण्डल, चयन समिति आदि की बैठकों में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को विश्वविद्यालय में आगमन यात्रा के माध्यम (Mode of Inward Journey) के अनुसार ही वापसी यात्रा का माध्यम (Mode of Outward Journey) मानते हुए वापसी की यात्रा पूर्ण होने से पूर्व ही यात्रा बिलों का भुगतान किया जाता रहा है। यात्रा भत्ता बिलों के देय भुगतान की गणना हेतु रोड़ माइलेज/रेल किराया/वायुयान किराया एवं ठहराव की गणना वापसी की यात्रा पूर्ण होने से पूर्व ही आगमन यात्रा को आधार मान कर समान दरों से की जाती है। यद्यपि लेखा परीक्षा की दृष्टि से यात्रा पूर्ण होने से पूर्व यात्रा भत्ता बिल का भुगतान उचित नहीं है तथापि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के दृष्टिगत वापसी यात्रा पूर्ण होने से पूर्व यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान कें सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :- उक्त प्रस्ताव पर प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. बेला भनोत, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर ने सुझाव दिया कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय लिया जाना चाहिए जिसका सदस्य सचिव द्वारा समर्थन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए वापसी यात्रा पूर्ण होने से पूर्व यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/310

विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों को मोबाइल/टेलीफोन/इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय कार्यो हेतु आवासीय टेलीफोन /मोबाइल/ इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध करने पर माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(49) मगंसिविबी/संस्था/2014/5581 दिनांक 30-05-2014 के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन/मोबाइल/इन्टरनेट की सुविधा के लिए राज्य सरकार एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमानुसार देय भुगतान/पुनर्भरण के सम्बन्ध में नियमों के परीक्षण उपरान्त अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :-

1. अधिष्ठाता- विज्ञान संकाय
2. कुलसचिव
3. वित्त नियंत्रक

उक्त समिति द्वारा दिनांक 11-05-2015 को बैठक आयोजित कर राज्य सरकार एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा शिक्षकों /अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन/मोबाइल/इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए इस विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों/अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन/मोबाइल/इन्टरनेट की सुविधा देने के लिए रिपोर्ट/अनुशंसा प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट/अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : रिपोर्ट

निर्णय :- विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अधिकारियों को मोबाइल/टेलीफोन/इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करने हेतु समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव ने भी ज्ञापन प्रस्तुत कर कार्य की प्रकृति को देखते हुए म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुरूप मोबाइल/टेलीफोन एवं इन्टरनेट की सुविधा देने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. बेला भनोत, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि जी.एफ.एण्ड ए. आर. के प्रावधानों के तहत ही निर्णय लिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य प्रो. एम.एम. सक्सेना द्वारा सुझाव दिया गया कि मुख्य कुलानुशासक एवं प्रबन्धक, अतिथि गृह के कार्य की प्रकृति को देखते हुए मोबाइल की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों को मोबाईल/टेलीफोन/इन्टरनेट की सुविधा देने का निर्णय लिया गया :-

क्र.स.	पद का नाम	निर्णय
1	कुलपति	आवासीय टेलीफोन - वास्तविक व्यय मोबाईल - वास्तविक व्यय
2	कुलसचिव	आवासीय टेलीफोन - राज्य सरकार के नियमानुसार मोबाईल- अधिकतम 1000/- प्रति माह
3	वित्त नियंत्रक	आवासीय टेलीफोन - राज्य सरकार के नियमानुसार मोबाईल- अधिकतम 1000/- प्रति माह
4	परीक्षा नियंत्रक	आवासीय टेलीफोन - राज्य सरकार के नियमानुसार मोबाईल- अधिकतम 550/- प्रति माह
5	उप कुलसचिव	750/- प्रति माह -आवासीय टेलीफोन 550/- प्रति माह - मोबाईल पुनर्भरण
6	सहायक कुलसचिव	650/- प्रति माह -आवासीय टेलीफोन 550/- प्रति माह - मोबाईल पुनर्भरण
7	निजी सचिव- कुलपति	550/- प्रति माह- मोबाईल पुनर्भरण
8	सहायक लेखाधिकारी	550/- प्रति माह मोबाईल पुनर्भरण
9	निजी सहायक	550/- प्रतिमाह मोबाईल पुनर्भरण

10	अनुभाग अधिकारी	300/- प्रति माह मोबाईल पुनर्भरण अनुभाग अधिकारी (गोपनीय) को 500/- प्रति माह
11	निदेशक शोध	550/- प्रति माह - मोबाईल पुनर्भरण
12	सम्पदा अधिकारी	550/- प्रति माह-मोबाईल पुनर्भरण
13	सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा)	550/- प्रति माह-मोबाईल पुनर्भरण
14	समस्त विभागाध्यक्ष	विभाग में टेलीफोन सुविधा एवं विभागाध्यक्ष को अधिकतम 750/- रू. प्रति माह मोबाईल पुनर्भरण।
15	पुस्तकालयाध्यक्ष	पुस्तकालय में टेलीफोन सुविधा एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को अधिकतम 550/- प्रति माह मोबाईल पुनर्भरण।
16	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	कार्यालय में टेलीफोन सुविधा एवं अधिकतम 750/- रू. प्रति माह-मोबाईल पुनर्भरण
17	प्रबन्धक, अतिथि गृह	अतिथि गृह में टेलीफोन सुविधा एवं अधिकतम 300/- रू. प्रति माह मोबाइल पुनर्भरण

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/311

परीक्षात्मक कार्यो हेतु प्रदत्त मानदेय के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

प्रबन्ध मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 07-06-2014 के बिन्दु संख्या 292 (1) में लिये गए निर्णयानुसार उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याकंन हेतु परीक्षको को देय पारिश्रमिक एवं वीक्षकों के मानदेय के पुनर्निधारण हेतु राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय द्वारा दिये जा रहे परीक्षात्मक मानदेय की तुलनात्मक स्थिति के अनुसार इस विश्वविद्यालय के परीक्षात्मक कार्यो हेतु दिये जाने वाले मानदेय के पुनर्निधारण हेतु प्रस्ताव/अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :-

1. प्रो. कैलाश डागा - संयोजक
2. प्रो. एस.के. अग्रवाल - सदस्य
3. प्रो. एम.एम. सक्सेना - सदस्य

उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक 27-03-2015 को कुलपति सचिवालय के मीटिंग हाल में सम्पन्न हुई। समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा/कार्यवाही संलग्न कर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक द्वारा टिप्पणी की गई कि तुलनात्मक रूप जिन मदों में किसी विश्वविद्यालय की दरे अधिक है, तो अधिक वाली दरे समिति द्वारा प्रस्तावित की गई है जो युक्तियुक्त नही है। बढ़ी हुई दरों से विश्वविद्यालय पर पडने वाले वित्तीय भार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुलपति महोदया द्वारा उक्त बिन्दुओं पर प्रबन्ध मण्डल बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : रिपोर्ट

<u>निर्णय</u> :- परीक्षात्मक कार्यो हेतु प्रदत्त मानदेय के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं की जांच हेतु परीक्षकों को देय पारिश्रमिक एवं वीक्षकों के मानदेय पुनर्निधारण हेतु ही समिति का गठन किया गया था परन्तु समिति द्वारा सभी परीक्षात्मक कार्यो हेतु दिये जाने वाले मानदेय

का पुनर्निधारण करने की अनुशंसा प्रस्तुत की है। विभिन्न मदों में राज्य के जिन विश्वविद्यालयों में मानदेय की दरे अधिक है उन्ही को समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है। सदस्य सचिव ने यह भी अवगत कराया कि परीक्षा 2015 का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है तथा केन्द्राधीक्षकों से प्राप्त बिलों का भुगतान भी लेखा शाखा द्वारा किया जा रहा है। अत: उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याकंन के पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कार्यो के मानदेय का निर्धारण आगामी परीक्षा वर्ष 2016 से किया जाना उचित होगा। साथ ही सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि समिति से प्राप्त अनुशंसा के अनुसार मानदेय का पुनर्निधारण किया जाता है तो विश्वविद्यालय पर प्रतिवर्ष लगभग 5.00 करोड का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श कर प्रति वर्ष परीक्षा शुल्क में 10% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा परीक्षात्मक कार्यो हेतु परीक्षा वर्ष 2015 से निम्नानुसार मानदेय निर्धारण करने का निर्णय लिया गया :-

S.No.	Name of Examination	Existing Rate	New Rate
1			
	Under Graduation Paper setting Descriptive type Question Paper (Bilingual in all except Language Papers)	Rs. 400/-	Rs. 1200/-
	Under Graduate Compulsory paper setting (100 MCQ type both in Environment & Elementary Computer)	Rs. 400/-	Rs. 2000/-
	In U.G. Courses for marking each answer book.	10/- (Minimum-300/-)	Rs.20/- (Minimum-500/-)
2	**Post Graduate** paper setting Descriptive type question paper.	Rs. 500/-	Rs.1500/-
	In P.G. Courses marking each Answer book	Rs.15 (Minimum-300/-)	Rs. 30/- (Minimum – 1000/-)
	For examining each candidate in Viva-Voce in M.A./M.Sc. to external examiner.	Rs. 20/-	Rs. 25/- (Minimum – 1000/-)
	For reading a Thesis (Dissertation of M.A.,M.Sc., M.Com., M.Ed.)	Rs.200/- (Minimum – 500/-)	Rs.400/- (Minimum – 1000/-)
	For reading the thesis & conducting Viva-Voce exam (if applicable) by a single external examiner per candidate MA/MSc/MCom/Other PG Courses	Rs. 20/-	Rs. 50/- (Minimum – 1000/-)
3	**M.Phil. Exam**		
	For setting each question paper in full	Rs.600/-	Rs. 1800/-
	For marking each Answer book.	Rs. 30/- (Minimum-300/-)	Rs. 40/- (Minimum – 1000/-)
	For assessing the Dissertation and conducting Viva Voce if applicable	Rs. 400/- (Minimum-500/-)	Rs. 800/- (Minimum-1000/-)

4	**Remuneration for Re-Valuation** The rate of remuneration for revaluating the answer books.	UG- Rs 15/- PG- Rs. 20/- (Minimum-50/-)			UG- Rs 30/- PG- Rs. 40/- (Minimum-100/-)		
5	**Remuneration to Centers**	Per day 01 Session	Per day 02 sessions	Per day 03 sessions	Per day 01 Session	Per day 02 sessions	Per day 03 sessions
	Superintendent	150/-	250-	300-	300/-	500/-	700/-
	Addl. Supdt.	100/-	175/-		200/-	350/-	
	Asstt. Supdt.	80/-	150-		150/-	300/-	
	Invigilator/Supervisor/Internal Flying	70/-			150/- Per Session		
6	**Remuneration to Non Teaching Staff**						
	Ministerial staff – per session	Rs. 40/-			Rs. 80/-		
	Class IV, Daftri- per session	Rs. 30/-			Rs. 60/-		
	Electrician/Pupm operator, Drivers & Chowkidars per day	Rs. 32/-			Rs. 60/-		
7	**Remuneration to Laboratory Staff**						
	Lab Asstt./Sr. lab Asstt. per day of four hours	Rs. 40/-			Rs. 80/-		
	Lab. Attendant per day of four hours	Rs. 30/-			Rs. 60/-		
8	**Remuneration for Practical Examination**						
	B.A./B.Com./B.Sc., Home Sci., LL.B.	Rs. 10/- each candidate			Rs. 20/- each candidate (Minimum – 400/-)		
	B.Ed./B.P.Ed.	Rs. 10/- each candidate			Rs. 20/- each candidate (Minimum – 400/-)		
	M.A./M.Ed./MCA (Pre & final) and equivalent	Rs. 10/- each candidate			Rs. 30/- each candidate (Minimum – 1000/-)		
	M.Sc. , M.Sc. Home Science	Rs. 15/- each candidate (Minimum – 300/-)			Rs. 30/- each candidate with minimum amount of Rs. 300/- to internal examiner per day but not exceeding Rs. 1000/- for total exams of the case.		
9	**Coordinator's Remuneration** Answer book assessment through coordinator						
	University jurisdiction	Rs. 50/- Per Packet			Rs. 100/- Per Packet		
	Outside jurisdiction	Rs. 100/- Per Packet			Rs. 150/- Per Packet		
	Paper setting through coordinator	Rs. 30/- each paper			Rs. 50/- each paper		
10	**Unfair Means Committee Meeting Remuneration**	Rs. 30/- per case			Rs. 50/- per case		
11	**Grievance Committee Meeting Remuneration.**	Rs. 150/- per meeting (Maximum 10 meeting)			Rs. 250/- per meeting (Maximum 15 meeting)		

12	**Flying Member Remuneration** Local (belonging to the same place) Outside	Rs. 100/- Per Day Rs. 200/- Per day +DA	Rs. 300/- Per Day Rs. 450/- Per day +DA

(1) बिन्दु संख्या 5 के क्रम में : संस्था से बाहर के वीक्षक को स्थानीय वाहन किराया रू. 50/- प्रतिदिन देय/संस्था के वीक्षक को यह भुगतान अवकाश के दिन देय होगा।

(2) उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याकंन राशि की अधिकतम सीमा राशि रू. 50,000/- निर्धारित की गई। उक्त निर्णय से पूर्व सदस्य सचिव ने मत व्यक्त किया कि उत्तरपुस्तिकाओं की जांच में गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम सीमा राशि 25,000/- ही पर्याप्त है।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/312

विश्वविद्यालय में सह-आचार्य एवं आचार्य पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त होने वाले शिक्षकों की परिवीक्षाकाल अवधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार के पत्र दिनांक 01-01-2015 के द्वारा विश्वविद्यालय के सह-आचार्य एवं आचार्य पद पर सीधी भर्त्ती के नियुक्ति नियमों में सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर उक्त दोनो पदों पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) करने हेतु निर्देश प्रदान किये गए है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान लागू नही होगा। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के साथ वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के परिपत्र दिनांक 23-09-2014 के अनुसार राज्य सरकार के सेवा नियमों में संशोधन कर निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किया गया है :-

Provided further that the Govt. may specify the posts higher than the entry post of the State service where the direct recruitment is permissible as per the provisions of relevant states service rules and where besides academic and professional qualifications, specific experience condition is also prescribed, on which the appointment will be made on "Probation" for a period of one year instead of 'Probationer trainee'.

अत: उपरोक्तानुसार इस विश्वविद्यालय में सह-आचार्य एवं आचार्य पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त होने वाले शिक्षकों की परिवीक्षाकाल अवधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 23-09-2014 को अंगीकार करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न- उपरोक्तानुसार

<u>निर्णय</u> :- विश्वविद्यालय में सह-आचार्य एवं आचार्य पद हेतु सीधी भर्त्ती से नियुक्त होने वाले शिक्षकों की परिवीक्षाकाल अवधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को प्रबन्ध मण्डल द्वारा अंगीकार करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/313

विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, कुलसचिव आवास एवं अन्य निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट

प्रबन्ध मण्डल की 23वीं बैठक दिनांक 30.01.2014 में विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास एवं कुलसचिव आवास का निर्माण कार्य का वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान में रखने का निर्णय लिया गया था। प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार कुलसचिव आवास के निर्माण कार्य हेतु विश्वविद्यालय की निर्माण कार्यकारी संस्था आरएसआरडीसी एवं विश्वविद्यालय के मध्य दिनांक 24.02.2015 को एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया था जिसमें एजेन्सी चार्जेज 7.5 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत मोबिलाईजेशन एडवान्स का प्रावधान था। इसके प्रत्युतर में आरएसआरडीसी ने अपने पत्र क्रमांक परियोजना निदेशक/बीकानेर/2014-15/ 2247 दिनांक 10. 03.2015 (फोटोप्रति संलग्न) के द्वारा बताया गया है कि नवीनतम एम.ओ.यू. के प्रारूप के अनुसार अब समस्त कार्य 9 प्रतिशत एजेन्सी शुल्क एवं कार्य की लागत 5 करोड़ से कम होने पर 100 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करवाने पड़ेगें।

विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक महोदय की राय के अनुसार विश्वविद्यालय में 5 करोड़ तक के कार्यो के लिए 100 प्रतिशत अग्रिम जारी नहीं किये जा सकते। अत: विश्वविद्यालय में 5 करोड़ तक के कार्य विश्वविद्यालय के स्वयं के स्तर पर सम्पादित करवाये जाने प्रस्तावित है तथा जिन भवनों की लागत 5 करोड़ से अधिक होती है उनका निर्माण कार्य आरएसआरडीसी के माध्यम से करवाये जा सकते है।

उल्लेख है कि तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा पत्रावली पर दिनांक 03.10.2013 को दिये गये निर्देशों की पालना में उक्त दोनों निर्माण कार्यो के लिए आवश्यक बजट प्रावधान रखने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे। राज्य सरकार की बजट निर्णयाक समिति बैठक दिनांक 01/01/14 में वित्तीय वर्ष 2014-15 की योजना मद में उक्त दोनों निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 156.30 लाख रू. (कुलपति आवास 100 लाख रू.+कुलसचिव आवास 56.30 लाख रू.) स्वीकृत करने पर सहमति प्रदत् है।

अत: कुलपति आवास, कुलसचिव आवास तथा भविष्य में विश्वविद्यालय में निर्मित होने वाले 5 करोड़ तक के भवनों का निर्माण कार्य विश्वविद्यालय के स्वयं के स्तर पर करवाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा मैसर्स आर.एस.आर.डी.सी. लि. के माध्यम से विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य करवाये जा रहे है। विश्वविद्यालय द्वारा मैसर्स आर.एस.आर.डी. सी. लि. को एजेन्सी चार्जेज 7.5 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत मोबिलाईजेशन एडवान्स दिये जाने प्रावधान था। परन्तु आरएसआरडीसी ने अपने पत्र क्रमांक परियोजना निदेशक/बीकानेर/2014-15/ 2247 दिनांक 10.03.2015 के द्वारा अवगत है कि अब समस्त कार्य 9 प्रतिशत एजेन्सी शुल्क एवं कार्य की लागत 5 करोड़ से कम होने पर 100 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करवानी होगी। विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से प्राप्त राय के अनुसार विश्वविद्यालय में 5 करोड़ तक के कार्यो के लिए 100 प्रतिशत अग्रिम राशि जारी नहीं की जा सकती है। विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी पदस्थापित है इसलिए 5.00 करोड तक के निर्माण कार्य विश्वविद्यालय स्तर पर करवाये जाने चाहिए।

सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सुझावों पर विचार-विमर्श कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा मैसर्स आर.एस. आर.डी.सी. को मोबिलाईजेशन एडवान्स राशि में 10 प्रतिशत वद्धि कर निर्माण कार्य करवाने हेतु सूचित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कार्य करवाने की सम्भावना पर भी विचार किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर

सम्पदा अधिकारी के पर्यवेक्षण में अधिकतम 1.50 करोड़ के निर्माण कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/314

विश्वविद्यालय में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में :-

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्त्ती एवं पदोन्नति नियम (जो इस विश्वविद्यालय में लागू हैं।) की अनुसूची III-A [Rules 22 and 32(1)] (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार चतुर्थ श्रेणी संवर्ग (प्रयोगशाला प्रेष्य) से कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक से सहायक पदों एवं पर भर्ती/पदोन्नति का प्रावधान निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद	प्रतिशत सहित भर्ती का स्त्रोत		पद जिससे पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति की जानी है।	योग्यता
		सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा		
1	कनिष्ठ लिपिक	80	20	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 03 वर्ष की नियमित सेवा
2.	सहायक	34	66	वरिष्ठ लिपिक	स्नातक, 5 वर्ष वरिष्ठ लिपिक पद का कार्य अनुभव। स्नातक नहीं होने पर 10 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से 05 वर्ष वरिष्ठ लिपिक पद का कार्य अनुभव।
3	अनुभाग अधिकारी	34	66	सहायक/लेखाकार	(1) स्नातक एवं 10 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से कम से कम 04 वर्ष सहायक/ लेखाकार पद का कार्यानुभव (2) स्नातक नही होने पर 14 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से कम से कम 4 वर्ष सहायक/लेखाकार पद पर कार्यानुभव

Note : The 34% post of Section Officers and Assistants allocated to direct recruitment shall be filled up from amongst the internal eligible employees on merit-cum seniority basis as recommended by the D.P.C. as per rules 30(2)

(1) कनिष्ठ लिपिक :- उपरोक्तानुसार पदोन्नति नियमों में केवल चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को ही कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति का अवसर प्राप्त है। महर्षि दयानन्द सरस्वती, विश्वविद्यालय, अजमेर में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में Machine Operator, Chowkidar, Sweeper, Book Attendent, Electrician, Plumber, Gardener ,Carpenter, Cook, Waiter, Lab Boy, Games Boy पदधारियों को भी चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में सम्मिलित किया गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 16835 दिनांक 16-12-2014 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (Peon) के अतिरिक्त प्रयोगशाला प्रेष्य पदोन्नति के पात्र है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी। म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

के पत्र कमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/18169 दिनांक 01.06.2015(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया कि वे सब पदधारी व्यक्ति जो Class-IV संवर्ग के कार्मिकों में दर्शाये गये है, कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के पात्र है, क्योंकि वे नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और वरीयता सूची में वरीयता से पात्रता अर्जित करते हैं। म.द.स. विश्वविद्यालय के इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर केवल Peon पदनामधारी व्यक्तियों की ही पदोन्नति की गई है। इसी कम में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक एफ-1(6)पीएस/निकाशि/2008/ 2410 दिनांक 22.04.2015 (प्रति संलग्न) के द्वारा प्रयोगशाला वाहक (लैब ब्वॉय) को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

इस विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (Peon) के समकक्ष पदधारी प्रयोगशाला प्रेष्य (Lab Boy) पद पर कार्यरत कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(2) कार्यालय सहायक :- विश्वविद्यालय में कार्यालय सहायक के कुल स्वीकृत पदों में 66 प्रतिशत पद पदोन्नति एवं 34 प्रतिशत पद विश्वविद्यालय में आतंरिक कार्मिको में से merit-cum seniority basis पर सीधी भर्त्ती से भरे जाने का प्रावधान है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा मेरिट से पदोन्नति/भर्त्ती का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है एवं केवल वरीयता के आधार पर ही पदोन्नति प्रदान की जाती है। इसलिए वरिष्ठ लिपिक पद के समान कार्यालय सहायक पद भी शत प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(3) अनुभाग अधिकारी :- विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी के स्वीकृत पदों में 66 प्रतिशत पद पदोन्नति एवं 34 प्रतिशत पद विश्वविद्यालय में आतंरिक कार्मिको में से merit-cum seniority basis पर सीधी भर्त्ती से भरे जाने का प्रावधान है। नवस्थापित विश्वविद्यालय होने के कारण प्रारम्भ में पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने के कारण अनुभाग अधिकारी के स्वीकृत 05 पद सीधी भर्त्ती से भरे गए। कालान्तर में वर्ष 2010 में स्वीकृत 04 पदों में से 02 पद पदोन्नति से भरे गए एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षित एक-एक (कुल 02) पदों के लिए सीधी (खुली) भर्त्ती से आवेदन आमंत्रित किये गए। पूर्व के पदों में से एक पद रिक्त होने पर समायोजन से भरा गया।

वर्तमान में अनुभाग अधिकारी के स्वीकृत 09 पदों में से नियमानुसार 06 पद पदोन्नति से एवं 03 पद सीधी भर्त्ती से भरे जाने का प्रावधान है। चूंकि पदोन्नति से अभी तक 02 पद ही भरे गए है इसलिए रिक्त 03 पदों (01 पद सामान्य, 01 पद अनुसूचित जाति एवं 01 पद अनुसूचित जनजाति) में से सामान्य श्रेणी के एक पद हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलबध होने के फलस्वरूप पदोन्नति से भरे जाने एवं अनुसूची III-A में अंकित नोट को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के एक-एक पद सीधी (खुली) भर्त्ती से भरे जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :- विश्वविद्यालय में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. बेला भनोत, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा राज्य सरकार के विद्यमान नियमों एवं अद्यतन आदेशों के आलोक में क्रियान्विति किये जाने का सुझाव दिया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-

1. **<u>कनिष्ठ लिपिक</u>** :- कनिष्ठ लिपिक पद पर म.द.स. विश्वविद्यालस, अजमेर के भर्त्ती एवं पदोन्नति नियम, 1998 के अनुसार 80 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जावे। विश्वविद्यालय में प्रयोशाला प्रेष्य के पद पर कार्यरत कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान एवं अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना अनुसार प्रयोगशाला प्रेष्य के पदो पर कार्यरत कार्मिको को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष पदधारी प्रयोगशाला प्रेष्य के पद पर कार्यरत कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति प्रदान का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

2. **<u>कार्यालय सहायक :</u>** सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में कार्यालय सहायक के कुल स्वीकृत पदों में 66 प्रतिशत पद पदोन्नति एवं 34 प्रतिशत पद विश्वविद्यालय में आतंरिक कार्मिकों में से merit-cum seniority basis पर सीधी भर्त्ती से भरे जाने का प्रावधान है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक पर शत प्रतिशत पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 66 प्रतिशत पद पदोन्नति एवं 34 प्रतिशत <u>पर</u> सीधी(खुली) भर्त्ती के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया।

3. **<u>अनुभाग अधिकारी :</u>** प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुभाग अधिकारी के 66 प्रतिशत पद पदोन्नति एवं 34 प्रतिशत पद सीधी (खुली) भर्त्ती से भरे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/315

प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद्, अध्ययन मण्डल की बैठकों में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को देय टैक्सी किराया दरों का पुनर्निर्धारण एवं मिटिंग चार्ज के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 18240-246 दिनांक 03-12-2012 के द्वारा प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति के माननीय सदस्यों को प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति की बैठक में भाग लेने पर 8.00 रू. प्रति कि.मी. की दर या वास्तविक किराया जो भी कम हो, का यात्रा भत्ता भुगतान किया जा रहा है। साथ ही प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति की बैठकों में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को 1,000/- प्रति बैठक के अनुसार सीटिंग चार्ज का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 9295 दिनांक 21-08-2012 के द्वारा विद्या परिषद सदस्यों, शोधार्थियों की मौखिक परीक्षा हेतु आमंत्रित विषय विशेषज्ञों, निरीक्षकों, अध्ययन मण्डल सदस्यों एवं विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु गठित समिति के सदस्यों को माननीय कलपति महोदया की पूर्व अनुमति से स्वयं की ए.सी. कार/टैक्सी से यात्रा करने पर 5.50/- कि.मी. की दर से भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में ईधन की दर में बढोत्तरी होने के कारण एवं वर्तमान दरों के अनुसार माननीय सदस्यों को वाहन उपलब्ध नही होने के कारण माननीय सदस्यों द्वारा दरों में बढोतरी की मांग की जा रही है। इसी क्रम में विद्या परिषद् की 13 वीं बैठक के विनिर्णय संख्या 07 के द्वारा प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद् एवं अध्ययन मण्डल की बैठकों में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को देय टैक्सी किराया दरों के पुनर्निर्धारण एवं मीटिंग चार्ज के निर्धारण हेतु प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में रखे जाने का सुझाव दिया गया।

अत: निम्नानुसार यात्रा भत्तों का पुनर्निधारण किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र. स.	माननीय सदस्य	टैक्सी किराया दर	सीटिग चार्ज	ठहराव	अनुमति
1	प्रबन्ध मण्डल	08.00 प्रति कि.मी.	रू. 2000/-	ठहराव एवं भोजन की व्यवस्था	आवश्यकता नही
2	चयन समिति	08.00 प्रति. कि.मी.	रू. 2000/-	ठहराव एवं भोजन की व्यवस्था	आवश्यकता नही
3	विद्या परिषद	08.00 प्रति. कि.मी.	रू. 1000/-	ठहराव एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति
4	अध्ययन मण्डल	07.00 प्रति. कि.मी.	रू. 500/-	अल्पहार/डी.ए. (राज्य सरकार नियमानुसार),	दो या अधिक सदस्यों द्वारा सम्मिलित यात्रा करने पर अनुमति की आवश्कता नही
5	विश्वविद्यालय के अन्य कार्यो यथा विविध बैठक में भाग लेने, शोधार्थी की मौखिक परीक्षा, महाविद्यालयों के निरीक्षण, उडनदस्ता दल आदि हेतु	05.50 प्रति. कि.मी.	-	अल्पहार/डी.ए. (राज्य सरकार नियमानुसार),	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति

नोट: प्रबन्ध मण्डल सदस्यों के विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य से यात्रा करने पर रू. 8/- प्रति. कि.मी. की दर से टैक्सी यात्रा भत्ता देय होगा।

अत: उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल, चयन समिति, विद्या परिषद के माननीय सदस्यों को यात्रा भत्ता/बैठक भत्ता के भुगतान के पुनर्निधारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत दरों के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने सदन को अवगत कराया कि प्रस्तावित दर के अनुसार भी सदस्यों को यात्रा हेतु टैक्सी उपलब्ध नही हो पाती है ऐसी स्थिति में यात्रा करने पर सदस्य को अधिक राशि भुगतान करना होता है। उक्त सुझाव पर सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा टैक्सी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा सकती है। माननीय सदस्य प्रो. एम.एम. सक्सेना ने सुझाव दिया कि शोध कार्य हेतु शोध विशेषज्ञों को 5.50 प्रति कि.मी. की दर में बढोतरी कर 7.50 प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जाना चाहिए जिसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त टैक्सी/स्वयं की कार का किराया एवं सीटिंग चार्ज का निर्धारण निम्नानुसार किया गया -

क्र. स.	माननीय सदस्य	टैक्सी किराया दर	सीटिग चार्ज	ठहराव	अनुमति
1	प्रबन्ध मण्डल	08.00 प्रति कि.मी.	रू. 2000/-	ठहराव एवं भोजन की व्यवस्था	आवश्यकता नही

2	चयन समिति	08.00 प्रति. कि.मी.	रू. 2000/-	ठहराव एवं भोजन की व्यवस्था	आवश्यकता नही
3	विद्या परिषद	08.00 प्रति. कि.मी.	रू. 1000/-	ठहराव एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति
4	अध्ययन मण्डल	07.00 प्रति. कि.मी.	रू. 500/-	अल्पहार/डी.ए. (राज्य सरकार नियमानुसार),	दो या अधिक सदस्यों द्वारा सम्मिलित यात्रा करने पर अनुमति की आवश्कता नही
5	शोधार्थी की मौखिक परीक्षा,	7.00 प्रति कि. मी.	-		माननीय कुलपति की पूर्वानुमति
6	विश्वविद्यालय के अन्य कार्यो यथा विविध बैठक में भाग लेने, महाविद्यालयों के निरीक्षण, उडनदस्ता दल आदि हेतु	05.50 प्रति. कि.मी.	-	अल्पहार/डी.ए. (राज्य सरकार नियमानुसार),	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति

नोट: प्रबन्ध मण्डल सदस्यों के विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य से यात्रा करने पर रू. 8/- प्रति. कि.मी. की दर से टैक्सी यात्रा भत्ता देय होगा।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/316

राजकीय महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात सम्बद्धता शुल्क जमा कराने पर आरोपित विलम्ब शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

एम.एल.बी. राजकीय महाविद्यालय, नोखा को सत्र 2013-14 में स्नातकोत्तर हिन्दी में नवीन सम्बद्धता प्रदान की गई थी। महाविद्यालय द्वारा सत्र 2014-15 की उक्त विषय की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु शुल्क 25,000/- जमा न कराने के कारण विश्वविद्यालय पत्रांक 9554 दिनांक 08.08.2014 के द्वारा स्नातकोत्तर हिन्दी की सत्र 2014-15 की सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क रूपये 25,000/- एवं विलम्ब शुल्क रूपये 25,000/- कुल राशि 50,000/- जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार महाविद्यालय द्वारा सत्र 2014-15 में स्नातक स्तर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में कम्प्यूटर एप्लीकेशन (वोके.) की सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क 15,000+15,000+15,000 कुल 45,000/- रूपये ड्राफ्ट संख्या 782281 दिनांक 24.07.2014 के द्वारा विलम्ब से विश्वविद्यालय कोष में जमा कराई गई। महाविद्यालय द्वारा उक्त सत्र का सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क दिनांक 31.12.2013 तक जमा न कराने के कारण विश्वविद्यालय पत्रांक 9554 दिनांक 08.08.2014 के द्वारा सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क राशि 45,000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस संबंध में महाविद्यालय ने अपने पत्रांक 1791 दिनांक 19.09.2014 के द्वारा एम.ए. हिन्दी का सत्र 2014-15 का सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क भेजा जाना बताते हुए (विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं) प्राचार्य डॉ0 अरूणा भारद्वाज के दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत हो जाने एवं दीर्घकाल से प्राचार्य एवं लेखाकार का पद रिक्त रहने से विलम्ब शुल्क माफ करने का अनुरोध किया है।

राजकीय विधि महाविद्यालय, चूरू द्वारा सत्र 2015-16 का सम्बद्धता शुल्क राशि 1,20,000/- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि 31.12.2014 के पश्चात जमा करवाने के कारण महाविद्यालय को

विश्वविद्यालय के पत्रांक 12348 दिनांक 24.06.2015 के द्वारा सम्बद्धता शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क राशि 1,20,000/- जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में महाविद्यालय ने अपने पत्रांक 66 दिनांक 18.06.2015 विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 26.06.2015 के द्वारा निवेदन किया है कि वर्ष 2015-16 हेतु एल एल.बी. पाठ्यक्रम का सम्बद्धता शुल्क बिल संख्या 17 दिनांक 11.12.2014 द्वारा आहरित कर ऑनलाईन भुगतान सीधे ही विश्वविद्यालय के खाते में जमा करवाया गया। विश्वविद्यालय खाते में बिल ऑनलाईन जमा नहीं होने के कारण पारित बिल प्राधिकृत बैंक द्वारा कोष कार्यालय को वापिस लौटा दिया गया। दिनांक 30.12.2014 को कोष कार्यालय द्वारा राशि आहरण अधिकारी 12116 को बैंकर चैक तैयार कर सूचना भिजवाई कि भुगतान ऑनलाईन नहीं हुआ है बिल भुगतान हेतु बैंकर्स चैक प्राप्त कर लेवे।

इसी अवधि में पंचायत राज आम चुनाव होने के कारण इस कार्यालय को बैंकर्स चैक भी विलम्ब से प्राप्त हुआ तथा सम्बद्धता शुल्क की राशि डी. डी. नम्बर 080561 दिनांक 17.01.2015 द्वारा विश्वविद्यालय को भिजवाई जा सकी। महाविद्यालय की विलम्ब शुल्क में माफी के संबंध में निवेदन किया गया ।

अत: उपरोक्तानुसार एम.एल.बी. राजकीय महाविद्यालय, नोखा एवं राजकीय विधि महाविद्यालय, चूरू पर आरोपित विलम्ब शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा एम.एल.बी. राजकीय महाविद्यालय, नोखा एवं राजकीय विधि महाविद्यालय, चूरू पर आरोपित विलम्ब शुल्क माफ करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/317

विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति के लिए नियमों में प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में अधिकारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति राजस्थान शिक्षक व अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम 1974 के प्रावधान अनुसार की जाती है तथा कर्मचारियों की नियुक्ति महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1998 (जो इस विश्वविद्यालय में लागू है) के प्रावधान अनुसार की जाती है। वर्तमान नियमों एवं प्रावधानों में विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कतिपय मंत्रालयिक कर्मचारियों के पूर्ण सेवाकाल में एक भी पदोन्नति का प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार एवं अन्य समस्त राजकीय प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में पूर्ण सेवाकाल में कार्मिकों को कम से कम तीन या अधिक पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाता है। हाल ही में राज्य सचिवालय सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर आदि प्रतिष्ठानों में कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान करने हेतु Cadre Review कर समस्त कार्मिकों/निजी स्टाफ को पदोन्नति के अवसर प्रदान किये गये हैं। विश्वविद्यालय अधिकारियों/कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र क्र.1-32/2006-U.II/U.I(ii) दिनांक 31/12/2008 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रावधान किये गये है जो समस्त राज्य सरकारों को भी प्रेषित किये गये थे। उक्त परिपत्र के प्रावधान राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F.1-6.2009/PRC दिनांक 28/02/2009 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं ***उनके संगठन*** द्वारा भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान एवं पदोन्नति के प्रावधान स्वीकृत करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार से अनुरोध किया गया किन्तु अभी तक कार्यवाही प्रतीक्षित है।

विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संलग्न कर इन्हें वेतनमान एवं समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने हेतु निम्न प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :-

I. विश्वविद्यालय अधिकारियों को उक्त लाभ प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 28/02/2009 के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1-32/2006 U.II/U.I(ii) दिनांक 31/12/2008 को अंगीकार कर तद्नुसार राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 में संशोधन हेतु प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति व राज्यपाल, राजस्थान तथा राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप-4) राजस्थान सरकार, जयपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना प्राप्तांक प.1(1)शिक्षा-4/2008 पार्ट दिनांक 02-05-2011 के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को राज्य सेवा के समकक्ष अधिकारियों के अनुसार वेतनमान देय है। इसलिए विश्वविद्यालय अधिकारियों को राज्य सेवा यथा-राजस्थान प्रशासनिक सेवा, लेखा सेवा, पुलिस सेवा आदि के समान समयबद्ध पदोन्नति/केरियर एडवासमेन्ट स्कीम का लाभ दिये जाने की अनुशंसा हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

II विश्वविद्यालय के शेष अधिकारी एवं मंत्रालयिक संवर्ग के निम्न पदों को पदोन्नति का लाभ प्रदान कर हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 तथा विश्वविद्यालय नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र. सं.	वर्तमान पद	पदोन्नति हेतु प्रस्तावित पद	प्रतिशत सहित पदोन्नति पद पर भर्त्ती का स्त्रोत	
			पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1	निजी सचिव- कुलपति	उप कुलसचिव	25 %	75%
2	निजी सहायक	वरिष्ठ निजी सहायक / अनुभाग अधिकारी	66	34
3	अनुभाग अधिकारी / वरिष्ठ निजी सहायक	सहायक कुलसचिव / निजी सचिव	50 %	50%

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-25/2015/318(टेबल)

सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पदों पर भर्त्ती सम्बन्धी प्रस्ताव

विज्ञापन संख्या 01/2013 दिनांक 30-04-2013 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 27-12-2013 जारी कर विश्वविद्यालय में रिक्त अन्य शैक्षणिक पदों के साथ ही कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य के 02 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किये गए। दिनांक 07-03-2015 को प्रात: 10:00 बजे मालवीय राष्ट्रीय प्राद्यौगिकी संस्थान, जयपुर में उक्त रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया गया। उक्त पद के आवेदक श्री आशिष पुरोहित द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन न. 1772/2014 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने दिनांक 07-03-2014 को अंतरिम आदेश पारित कर याचिकाकर्त्ता श्री आशिष कुमार पुरोहित को साक्षात्कार में सम्मिलित करने हेतु निर्देश प्रदान किये।

याचिकाकर्त्ता द्वारा उक्त आदेश की प्रति विश्वविद्यालय परिसर में सांय 04:30 बजे प्रस्तुत की गई। किन्तु सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पदो हेतु साक्षात्कार के आयोजन की कार्यवाही जयपुर में पूर्ण होने के कारण निर्णय की पालना तत्समय नही की जा सकी। उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-05-2014 के द्वारा विश्वविद्यालय को याचिकाकर्त्ता श्री आशिष पुरोहित का पूर्व में नियत चयन समिति से पृथक से साक्षात्कार आयोजित करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना श्री आशिष पुरोहित का दिनांक 19-05-2014 को साक्षात्कार लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-05-2014 के द्वारा सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के 02 पद के साक्षात्कार का परिणाम श्री आशिष कुमार पुरोहित को सम्मिलित करते हुए जारी करने के निर्देश प्रदान किये गए। प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के लिफाफे खोल लिये गए थे किन्तु परिणाम घोषित नही किये गए। तत्पश्चात राज्य सरकार के पत्र दिनांक 05-08-2014 के द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर की जा रही चयन प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई थी।

इस क्रम में एक अन्य आवेदक श्री अनिल कुमार दुलार ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन न. 6745/2014 दायर कर सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पदों हेतु आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी करने का अनुरोध किया है। वादी द्वारा याचिका में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मापदण्ड अनुसार सहायक आचार्य पद हेतु ए.पी.आई. स्कोर की बाध्यता नही है।

अत: माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 23-05-2014 एवं याचिका संख्या 6745/2014 के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर सहायक आचार्य कम्प्यूटर विज्ञान पद का परिणाम घोषित करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :- सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-05-2014 के द्वारा सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के 02 पद के साक्षात्कार का परिणाम श्री आशिष कुमार पुरोहित को सम्मिलित करते हुए जारी करने के निर्देश प्रदान किये गए। इस क्रम में एक अन्य आवेदक श्री अनिल कुमार दुलार ने भी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन न. 6745/2014 दायर कर सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पदों हेतु आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी करने का अनुरोध किया है। वादी द्वारा याचिका में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मापदण्ड अनुसार सहायक आचार्य पद हेतु ए.पी.आई. स्कोर की बाध्यता नही है।

माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने उल्लेख किया कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 23-05-2014 को जारी किया गया था परन्तु उक्त आदेश आज टेबल एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इस एजेण्डा के लिए प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्ण जानकारी नही है। साथ ही प्रो. डागा ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय में समान प्रकरण पर किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा वाद दायर किया जाता है तो उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का प्रकरण नही बनता है तथा उक्त आदेश की अवधि 01 वर्ष से अधिक होने के कारण भी वर्तमान समय में अवहेलना का कोई औचित्य नही है।

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तब तक लागू रहेगे जब तक समान प्रकरण के अन्य परिवाद (श्री अनिल कुमार दुलार) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नही किया जाता है। अत: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-05-2014 पर प्रबन्ध मण्डल को निर्णय लिया जाना विश्वविद्यालय हित में होगा अन्यथा विश्वविद्यालय को माननीय उच्च न्यायालय के

आदेशों की अवहेलना का दोषी माना जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार-विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्थगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में मुख्य एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

<u>अध्यक्ष महोदया की अनुमति से</u> :-

एम.फिल. परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को स्वर्ण पदक प्रदान करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल प्रो. एम.एम. सक्सेना ने अवगत कराया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में एम.फिल. में स्वर्ण पदक देने का प्रावधान नही है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर सूचना मांगी गई है परन्तु कुछ विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त होना शेष है। इस पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित नियमों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त कर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. बेला भनोत, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण संलग्न किये जाने का अनुरोध किया गया जिससे सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(भंवर सिंह चारण)
कुलसचिव